

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,भदोही-ज्ञानपुर।

संख्या- 280/स्थायी लो.अ.

दिनांक- 01.07.2019.

विज्ञप्ति

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22बी के अन्तर्गत गठित स्थायी लोक अदालत के सदस्य पद हेतु रू0-1500/प्रतिबैठक एवं रू0-5000/प्रतिमाह मार्गव्यय के मानदेय पर ,पाँच वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक ,जो भी पहले पड़ती हो की अवधि के लिये चयन हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं। अर्ह व्यक्ति जिन्हें जनोपयोगी सेवाओं(यात्रियों अथवा माल को वायु,सड़क ,रेल,या जलमार्ग से जाने ले जाने के लिये परिवहन सेवायें ,डाक तार या दूरभाष सेवायें ,विद्युत प्रकाश या जल की आपूर्ति ,सफाई प्रणाली , चिकित्सालय अथवा दवाखाने की सेवायें तथा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22 ए,(बी) में परिभाषित एवं ऐसी अन्य सेवायें जिन्हें जनहित में केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित / घोषित जनोपयोगी सेवायें)प्रदान करने का अच्छा अनुभव प्राप्त हो,वे अपना आवेदन पत्र अधोलिखित प्रारूप पर अपने दो नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो,दो रजिस्ट्री लिफाफे मय पता एवं टिकट दिनांक 20.07. 2019.तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,दीवानी न्यायालय परिसर भदोही के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।

दिनांक:01.07.2019.

अध्यक्ष /जिला जज,

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,भदोही-ज्ञानपुर।

Application (Proforma) for the post of Members, Permanent Lok Adalats

(Established under section, 22B of the Legal Services Authorities Act, 1987)

(To be filled personally by the applicant)

1. Name.....
(Capital letters) self attested
2. Father's Name/W/O..... photograph
3. Present Address :.....
.....
Mobile & Landline No.
E-mail ID :.....
4. Occupation.....
5. Permanent Address (attach copy of address proof):
.....
6. Date of Birth:
7. Educational Qualification :
8. Any other special qualification/achievement, If any.....
9. Experience in the field of Public Utility Services/
Legal Services Institutions
10. List of certificates attached

Date:

Place:

Signature of applicant

Note: Attach photocopies of relevant papers regarding point no. 5 to 8 .

(Apply on the prescribed format on foolscap size paper)

(2)


पत्रांक- 250 (1)

दिनांक-01.07.2019.

प्रतिलिपि-

- 1-माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की बेबसाइड पर प्रकाशन हेतु प्रेषित की जावे।
- 2-सदस्य-सचिव उ0 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,लखनऊ को प्रेषित की जावे।
- 3-जिलाधिकारी , भदोही को इस आशय के साथ प्रेषित कि कलेक्ट्रेट और तहसीलों के नोटिस बोर्ड पर उक्त विज्ञप्ति को चस्पा करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करें।
- 4-प्रभारी अधिकारी नजारात अनुभाग जनपद न्यायालय भदोही को इस आशय से प्रेषित कि न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर उक्त विज्ञप्ति चस्पा कराना सुनिश्चित करें।
- 5-नोटिस बोर्ड अध्यक्ष समस्त बार एसोसिएशन भदोही को इस आशय से प्रेषित कि बार एसोसिएशन के नोटिस बोर्ड पर उक्त विज्ञप्ति चस्पा कराना सुनिश्चित करें।
- 6- नोडल अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग जनपद न्यायालय भदोही को इस आशय से प्रेषित कि माननय उच्च न्यायालय इलाहाबाद और जनपद न्यायालय भदोही की बेबसाइड पर उक्त विज्ञप्ति अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
- 7-जिला सूचना अधिकारी भदोही को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।
- 8- सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भदोही को इस आशय से प्रेषित कि नोटिस बोर्ड उक्त विज्ञप्ति चस्पा कराना सुनिश्चित करें।

दिनांक-01.07.2019


अध्यक्ष / जिला जज,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,भदोही।